

 सत्यराम जयसे	<b>राजस्थान राज—पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<i>Published by Authority</i>
आषाढ़ 7, बुधवार, शाके 1939—जून 28, 2017 <i>Asadha 7, Wednesday, Saka 1939—June 28, 2017</i>		

भाग 1 (क)  
नियुक्तियों, छुटियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियाँ।

**राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**  
**राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर**  
**कार्यालय आदेश**

जयपुर, जून 28, 2017

**संख्या एफ-2 ( 45)/राल्सा/डी.एस.—प्रथम/पी.एल.ए.गठन/2017/318 :-** राजस्थान सरकार विधि(ग्रुप-2)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश संख्या पं.8(1) विधि-2/2002/527 दिनांक 09. 06.2017 द्वारा निम्न प्रकार मनोनयन (Nomination) होने के फलस्वरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22ख के अंतर्गत इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक एफ-1( )संस्था/पी.एल.ए. गठन/राल्सा/2015-16/126 दिनांक 28.05.2015 द्वारा निम्नलिखित स्थाई लोक अदालतों में अध्यक्ष पद पर संबंधित जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों को समाप्त करते हुए निम्नलिखित अधिकारीगण को उनके नाम के सम्बुद्ध अकित जिला न्यायाधीत्र मुख्यालय पर जनोपयोगी सेवाओं के लिए संस्थापित स्थाई लोक अदालत में अध्यक्ष पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की कालावधि के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्यधीन एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	स्थाई लोक अदालत जिला न्यायाधीत्र मुख्यालय	अध्यक्ष का नाम,	पद नाम	स्थायी लोक अदालत का अधिकारी क्षेत्र
1.	जयपुर जिला	श्री अनिल कुमार गुप्ता	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए
2.	भीलवाड़ा	श्री विष्णु दंत शर्मा—प्रथम	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए
3.	अलवर	श्री ग्यारसी लाल शर्मा	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए
4.	सीकर	श्री गोविन्द प्रसाद गोयल	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए
5.	पाली	श्री अजय कुमार ओझा	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए
6.	श्रीगंगानगर	श्री नरेश चूध	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए
7.	चित्तौड़गढ़	श्री हरि मोहन गुप्ता	अध्यक्ष	संपूर्ण न्याय क्षेत्र के लिए

इस आदेश द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत के अध्यक्षों को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other terms and conditions of Appoinment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा इस पद के लिए समय—समय पर सरकार द्वारा जारी आदेश व स्वीकृतियों के अनुरूप देय होंगी।

उक्त अधिकारीगण को दिनांक 05-08-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

आज्ञा से,  
एस. के. जैन,  
सदस्य सचिव,  
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।